कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 1008/318/आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 20/11/2020

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश.

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण हेतु महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथि में वृद्वि करने बाबत।

संदर्भ– 1. उच्च शिक्षा,मंत्रालय,आदेश कमांक 949/2020/सी.सी./2020/38,भोपाल दि. 31.07.2020
2. कार्यालयीन पत्र कमांक 562/243/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 31.08.2020
3. कार्यालयीन पत्र कमांक 720/254/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 26.09.2020
4.कार्यालयीन पत्र कमांक 912/318/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 28.10.2020
5. कार्यालयीन पत्र कमांक 969/318/आउशि/शा–5'अ'/2020, दिनांक 10.11.2020

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र 04 के बिन्दु कमांक 01 पर अंकित अनुसार समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय दिनांक 03.11.2020 से दिनांक 10.11.2020 में मध्य विद्यार्थी की अर्हता का परीक्षण कर, स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 'प्रमोट' बाक्स पर क्लिक कर विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रमोट करने के निर्देश जारी किये गये है एवं संदर्भित पत्र कमांक 05 के द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 10.11.2020 में वृद्वि करते हुए दिनांक 20.11.2020 निर्धारित की गई है।

अतः पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ हैं।

1. एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का नामांकन प्रारंभ करने के संबंध में संबंधित विद्यार्थियों से महाविद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त कर महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित विश्वविद्यालय को नामांकन हेतु प्रेषित करेगा एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

2. एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण होने पर संबंधित महाविद्यालय संबंधित विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित विश्वविद्यालय को स्थानांतरण हेतु प्रेषित करेगा एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्थानांतरण संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

3. उक्त विषयान्तर्गत समय–सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराना संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी।

अतः स्नातक द्वितीय वर्ष,तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण हेतु प्रमोट करने की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 20.11.2020 में वृद्वि करते हुए दिनांक 25.11.2020 निर्धारित की जाती है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(अपर आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

20/11/20

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

निरन्तर...2,

पृ. क्रमांक 1009/318/आउशि/शा.–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 20.11.2020

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ आफीसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, अपर आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन,भोपाल मध्यप्रदेश।
4. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश।
6. निदेशक/प्राचार्य,समस्त ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित संस्थान/महावि.मध्यप्रदेश।
7. समस्त प्राचार्य,शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।
8. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल,डी.बी.मॉल,अरेरा हिल्स,भोपाल।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,आई.टी.शाखा,उच्च शिखा संचालनालय,सतपुड़ा भवन,भोपाल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल